पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 20.02.2025 को मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.11.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	शासकीय महा. लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	M.Sc.- I/II Sem. Zoology (Self Finance)	25	2024–25	1. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. माया शेदपूरे, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर 3. डॉ. रेणु महेश्वरी, शास. नागार्जुन पीजी साइंस कॉलेज, रायपुर

निरीक्षण तिथि : 06.12.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **N.A.**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **N.A.**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **N.A.**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **N.A.**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं के भवन में**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **23 rooms**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **One practical lab is available for Zoology.**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **Adequate equipment are available**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **One permanent faculty and one faculty from self finance are there. More faculty members are required.**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **One lab technician is working as officialting librarian. Number of books in zoology is adequate.**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **Vermi bed, sports ground, Canteen, Biodiversity Garden, NSS, etc.**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **N.A.**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **The college received BT Star college Grants from Govt. of India that is a unique achievment.**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **More faculty member are required.**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तामासिवनी, जिला–रायपुर	B.A.-II- (F.C. Hindi, English), Politicasl Science, Economics, History	90	2024–25	1. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. डॉ. कमलेश शुक्ला, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 3. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर 4. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, प्राचार्य, शास. महावि., खरोरा
		B.Sc.-II- Bio Group (F.C.-Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60		
		B.Sc.-II- Maths Group (F.C.-Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	30		
		B.Com.-II- All Compulsory Subject	90		

निरीक्षण तिथि : 15.01.2025

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **लागू नहीं**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **लागू नहीं**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **लागू नहीं**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **लागू नहीं**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **नहीं, शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **कक्षों की आवश्यकता है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **प्रयोगशाला हेतु कक्षों की आवश्यकता है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की आवश्यकता है। वर्तमान में शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा रहा है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – **पर्याप्त है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **ग्रंथपाल नहीं है।। पुस्तकों की आवश्यकता है। 216 किताबें हैं। पुस्तकों हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **मूलभूत सुविधाएं है।**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **कार्यालयीन स्टाफ एवं प्राचार्य की नियुक्ति हो गई है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – ––
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    - i. **महाविद्यालय का स्वयं का भवन**
    - ii. **ग्रंथपाल की नियुक्ति**
    - iii. **प्रयोगशाला की स्थापना एवं उपकरणों की उपलब्धता**
    - iv. **पुस्तकों की उपलब्धता।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii.	सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महावि. कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर	B.A.-II Geography (Add.Subject)	60	2024–25	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर 3. डॉ. किरण गजपाल, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर
		M.Sc.-III/IV Sem. Maths	20		
		M.Sc.-III/IV Sem. Chemistry	30		

निरीक्षण तिथि : 14.01.2025

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – —
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – —
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि –
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – —
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं के भवन में संचालित**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **मानदंड के अनुसार कक्षों की उपलब्धता है, प्रायोगिक कक्ष आवश्यक है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **रसायन प्रयोगशाला : एम.एस–सी. के लिए अलग नहीं है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **एम.एस–सी. रसायन उपकरणों की सुची संलग्न FLAG-A, भूगोल–D**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता –
   M.Sc. रसायन : स्वीकृत पद– 1 प्राध्यापक, 2 सहा.प्राध्यापक, वर्तमान कार्यरतः 1 नियमित सहा. प्राध्यापक, अतिथि व्याख्या –02
   (ii) गणित : स्वीकृत पद–2, सहा.प्राध्यापक, वर्तमान कार्यरत : 1, नियमित सहा., अतिथि–1,
   भूगोल : स्वीकृत – 1 सहा.प्राध्यापक, वर्तमान – 1 अतिथि व्याख्याता कार्यरत
   प्राणीशास्त्र : संस्था से चयनित – 02,
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **नियमित ग्रंथपाल है।**
    Books : MSc. Chemistry : 56 Flag-B
    M.Sc. Maths: Flag-C
    B.A. भूगोल Flag-D
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **INFRASTRUCTURE अच्छा है। INTERNET FACILITIES Available GIRLS COMMON ROOM, PLAY GROUND है। पानी की व्यवस्था / WASHROOM Sufficient Class Rooms**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्ते पूर्ण कर ली गई है ? – **कुछ पुस्तकें क्रय किया गया है। M.Sc. रसायन के लिए अलग प्रयोगशाला नहीं बनाया गया। भूगोल का Lab अलग बना है। कुछ उपकरण आवश्यक है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **आधारभूत संचरचना ठीक है। NAAC- 'B' GRADE प्राप्त है। दीक्षारंभ कार्यक्रम तथा parents map राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुछ कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम है। Separate Science Block उपलब्ध है।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    i. **M.Sc. रसायन प्रयोगशाला अत्यन्त आवश्यक है।**
    ii. **पाठ्यक्रम एवं NEP 2020 के परिपालन पर उपकरणों, Chemicals तथा Books के लिए राशि आबंटन आवश्यक है।**
    iii. **COMPUTER FACILITIES वृद्धि करना है।**
    iv. **गणित में और प्राध्यापक सेट–अप दे।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv.	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महा. कोपरा, जिला–गरियाबंद	P.G.D.C.A. (Seat Extension)	20	2024–25	1. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.जे. डहरवाल, फार्मेसी संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. अनिल तिवारी, दिशा कॉलेज, रायपुर
		D.C.A. (Seat Extension)	20		
		B.A. (Seat Extension)	40		
		M.A. I/II Sem. Geography (New Course)	20		
		M.A. I/II Sem. History (New Course)	20		

टीपः **महाविद्यालय के द्वारा सत्र 2012–13 में वि.वि. को सीट वृद्धि सहित सम्बद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सम्बद्धता प्राप्त नहीं होने के कारण सत्र 2024–25 तक किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।**

निरीक्षण तिथि : 01.02.2025

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **पंजीयन क्र. 2131 दिनांक 06.03.2003**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **0.75 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **9.50 लाख रूपये**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **16 जून, 2027 तक**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **हाँ**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **हाँ**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता –**हाँ**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम एम.ए. भूगोल हेतु प्रायोगिक उपकरण नये क्रय किए गये हैं। (अनुमानित व्यय एक लाख रुपये)**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – **प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु सेक्सन 28 के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के प्रक्रियाधीन है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **ग्रंथपाल अस्थायी है। (एम.लिब उत्तीर्ण) ग्रंथालय में 1100 पुस्तकें उपलब्ध है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **(1) गर्ल्स के लिए पृथक कॉमन रूम है। (2) परिसर में Wifi facility उपलब्ध है।**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – —
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **महाविद्यालय में उपलब्ध कक्षों का सत्यापन प्रदत्त सूची के अनुसार किया गया। प्रेषित सूची के अनुरूप महा. में कक्ष उपलब्ध है।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    - i. **प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु सेक्सन 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार / पाठ्यक्रमवार किया जाना नितांत आवश्यक है।**
    - ii. **ग्रंथालय में प्रस्तावित विषय से संबंधित 10–10 सेट पुस्तकों का क्रय किया जाना आवश्यक है।**
    - iii. **नवीनतम कान्फीग्रेशन के 02 कम्प्यूटर क्रय किया जाना आवश्यक है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
V.	जैन महाविद्यालय, देवपुरी–फुंडहर रोड, रायपुर (छ.ग.)	B.A.-I (F.C.-Hindi, Eng.), Env.Stdudies, Economics, Psychology, Englissh Litt.	35	2024–25	1. डॉ.के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एस.के. भट्‌ट, प्राचार्य, शास. महावि. लवन 4. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, प्राचार्य, शास. महावि. खरोरा
		B.Sc.-I- Bio (F.C.-Hindi, Eng.), Env. Stdudies, Botany, Zoology, Chemistry	35		
		B.Sc.-I- Maths (F.C.-Hindi, Eng.), Env. Stdudies, Maths, Physics, Chemistry	35		
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	35		

निरीक्षण तिथि : 04.01.2025

1. **प्रस्तावित महाविद्यालय / जैन एजुकेशन सोसाइटी, रायपुर के पास कुल 11.061 एकड़ भूमि उपलब्ध है। (दस्तावेज संलग्न), जिसमें से 5.1274 एकड़ भूमि महाविद्यालय के लिए सुरक्षित रखने का पत्र संलग्न किया गया है।**
2. **प्रस्तावित 5.1274 एकड़ भूमि को प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम से परिवर्तित करने के लिए सम्बद्धता के शर्त के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा बोला जा सकता हे। साथ ही प्रस्तावित महाविद्यालय के भवन निर्माण करने की समयावधि भी निश्चित करने की शर्त रखी जा सकती है।**
3. **सम्बद्धता मिलने की स्थिति में, प्रस्तावित महाविद्यालय के भवन का निर्माण भी कराया जाना है, क्योंकि उक्त दोनों संस्थाएं जैन एजुकेशन सोसाइटी, रायपुर, के द्वारा ही पोषित एवं संचालित होंगी।**
4. **प्रस्तावित महाविद्यालय के कक्षाओं एवं प्रायोगिक कार्यों का संचालन महाविद्यालय के भवन बनने तक जैन पब्लिक स्कूल, रायपुर के भवन में ही किया जायेगा। कक्षाओं एवं प्रायोगिक कार्यों के प्रारंभिक संचालन के लिए जैन पब्लिक स्कूल, रायपुर, में उचित संख्या में कक्ष, प्रयोगशालाएं, पठन–पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय, एवं प्रायोगिक सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।**
5. **प्रस्तावित महाविद्यालय / जैन पब्लिक स्कूल, रायपुर, में छात्र–छात्राओं के जरूरत कि मूलभूत सुविधाएँ उलपब्ध हैं।**
6. **प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा पठन–पाठन की बाकी व्यवस्था, एवं प्रायोगिक कार्यों की विषवार उपकरणों, रसायनों एवं सामग्रियों की व्यवस्था, पुस्तकें, शिक्षक–शिक्षिकाओं की व्यवस्था, आदि समय पर कर ली जाएंगी ऐसा बताया गया है एवं दस्तावेज संलग्न किया गया है।**

उक्त सभी तथ्यों के आधार पर, प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त करने की पात्रता रखता है।

03. POST GRADUATE DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (P.G.D.A.I) के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश के संबंध में विचार करना।

टीपः POST GRADUATE DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (P.G.D.A.I) के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

04. **M.Com. (Integrated Program) पाठ्यक्रम के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश के संबंध में विचार करना।**

टीप: M.Com. (Integrated Program) पाठ्यक्रम के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

05. **Draft Revised Regulation No. 149 The regulation specifies miscellaneous provisions under the Ordinance 170. (The provision of Revised Ordinance 170 should be followed prior to application of this regulation) पर विचार करना।**

टीप: Draft Revised Regulation No. 149 की प्रति संलग्न कर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यादेश क्र. 210 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) के अंतर्गत Draft Regulation की अनुशंसा करना।**

टीप: छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. 2142/1131/2024/38–2 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के परिपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत Draft Regulation विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

07. **विनियम क्रमांक 212 के अंतर्गत संचालित 'Part A: Seed Money for Minor Research Projects' में संशोधन पर विचार करना।**

टीप: IQAC से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. **शैक्षणिक एवं संस्थागत विकास हेतु विश्वविद्यालय परिसर में** PITEF display center (PRSU Innovation Technology Entrepreneurship Foundation (PITEF)) **की स्थापना के संबंध में विचार करना।**

टीप: IQAC से प्राप्त प्रस्ताव, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

09. **विश्वविद्यालय में नीति निर्धारण हेतु Proposed Policies Developed in Key Areas for Review and Approval पर विचार करना।**

टीप: शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु नीति निर्धारण के लिए IQAC से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है –

To strengthen academic excellence and institutional governance, the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Pt. Ravishankar Shukla University (PRSU) proposed the formulation of key policies in the following areas:

- Curriculum Feedback Mechanism
- Program Outcome (PO), Program Specific Outcome (PSO), and Course Outcome (CO)
- Support for Slow and Advanced Learners
- Incentives (Certificates of Appreciation) for Faculty, Staff, and Students for Outstanding Achievements
- Institution Innovation Council (IIC)
- Code of Ethics for Research
- Code of Conduct for Faculty, Non-Teaching Staff, and Students
- Research Collaboration and Memoranda of Understanding (MoUs)
- IT Governance
- Placement Guidelines
- Alumni Engagement

Following administrative approval, these policies have been developed to reinforce PRSU's commitment to continuous improvement, innovation, and academic excellence.

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षण पहल को मजबूत करने हेतु E-Content and MOOC Course Development के संबंध में विचार करना।**

टीप: IQAC से प्राप्त प्रस्ताव–

To strengthen digital learning initiatives at Pt. Ravishankar Shukla University (PRSU), the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) has proposed the creation of a state-of-the-art facility for the development of e-content and Massive Open Online Courses (MOOCs). In alignment with this objective, a Digital Learning and Online Education Cell (3166/अका./एफ–27/2024 रायपुर, दिनांक 29/04/2024) was established to oversee these initiatives.

However, as the required facility is yet to be created, IQAC recommends its urgent establishment on the PRSU campus. This facility will play a crucial role in expanding the university's reach, enhancing the quality of education, and catering to the diverse learning needs of students, professionals, and lifelong learners.

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **Ordinance No. 170 - Semester System में निम्नांकित संशोधन के संबंध में विचार करना –**

Ordinance	Current provisions	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
170(2)		2(l)The eligibility criteria for admission in Master in Public Health (MPH) a candidate should have be graduates in Medicine, AYUSH, Dentistry, Veterinary Sciences, Allied and Health Sciences, Life Sciences, Nutrition, Anthropology, Statistics, Demography, Population Studies, Sociology, Psychology, Social Work, Rural Development,Management.	Start New Course Master in Public Health (MPH)
		2(m) For admission in M.A. in Yoga , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Yoga
		2(n) For admission in M.A. in Women & Gender Studies , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Women & Gender Studies
		2(0) For admission in M.A. in Tribal Studies & Indian knowledge system , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Tribal Studies & Indian knowledge system
170(3)	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Master's Degree shall be awarded to those candidates who have obtained a minimum SGPA of 4 in each of the four semesters and at least a grade letter "P" in each course of four semesters in theory and practical courses	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Master's Degree shall be awarded to those candidates who have obtained a minimum SGPA of 4 in each of the four semesters and at least a grade letter "P" in each course of four semesters in theory and practical courses	To incorporate Credit and Grade System as suggest in NEP-2020 and

separately (taking together continuous internal assessment and end semester evaluation). The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis.

Criteria	Division
CGPA ≥ 7.5	I with Distinction
4.8 ≤ CGPA < 6.0	II
4.0 ≤ CGPA < 4.8	III

The student will be assigned a grade letter/grade point in each course based according to the following criteria.

Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade
>90 to ≤ 100	10	O	Outstanding
>80 to ≤ 90	9	A+	Excellent
>70 to ≤ 80	8	A	Very good
>60 to ≤ 70	7	B+	Good
>50 to ≤ 60	6	B	Above Average
>40 to ≤ 50	5	C	Average
=40	4	P	Pass
< 40	0	F	Fail
Absent	0	Ab	Fail

Description

(i) Letter grades O, A+, A, B+, B, C, and P awarded to a student in a course means that the student has passed that course.

(ii) The grade F and Ab denote FAIL; a student fails in the course due to poor performance or non-appearance/incomplete appearance in the examination held for the course. A student may appear in subsequent examination(s), as per the provisions of the Ordinances in all such courses, until a passing grade is obtained, which shall be subject to maximum time limit set out for completion of the programme.

(iii) Semester Grade Point Average (**SGPA**) = $\mathbf{\Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i}$ where, C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the

separately (taking together continuous internal assessment and end semester evaluation). The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis.

Criteria	Division
Division CGPA ≥ 7.5	I with Distinction
6.0 ≤ CGPA < 7.5	I
4.8 ≤ CGPA < 6.0	II
4.0 ≤ CGPA < 4.8	III

The student will be assigned a grade letter/grade point in each course based according to the following criteria.

Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade
>90 to ≤ 100	10	O	Outstanding
>80 to ≤ 90	9	A+	Excellent
>70 to ≤ 80	8	A	Very good
>60 to ≤ 70	7	B+	Good
>50 to ≤ 60	6	B	Above Average
>40 to ≤ 50	5	C	Average
=40	4	P	Pass
< 40	0	F	Fail
Absent	0	Ab	Fail

Description

(i) Letter grades O, A+, A, B+, B, C, and P awarded to a student in a course means that the student has passed that course.

(ii) The grade F and Ab denote FAIL; a student fails in the course due to poor performance or non-appearance/incomplete appearance in the examination held for the course. A student may appear in subsequent examination(s). as per the provisions of the Ordinances in all such courses, until a passing grade is obtained, which shall be subject to maximum time limit set out for completion of the programme.

(iii) Semester Grade Point Average (**SGPA**) = $\mathbf{\Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i}$ where, C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the student in the i^{th} course.

(iv) Cumulative Grade Point Average (**CGPA**) = $\mathbf{\Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i}$ where, S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.

	student in the i^{th} course. (iv) Cumulative Grade Point Average (**CGPA**) = $\Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$ where, S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.		

12. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निम्नलिखित चार महाविद्यालयों को असम्बद्ध किये जाने के संबंध में विचार करना –

(i) प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर (छ.ग.)
(ii) ए.व्ही.एस. प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना रायपुर (छ.ग.)
(iii) नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर (छ.ग.)
(iv) प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रत्नाबांध, धमतरी (छ.ग.)।

टीप : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.06.2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.07.2017 के अनुमोदनानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के संबद्धता से पृथक किए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। निर्णय का विवरण "महाविद्यालय को बंद करने के संबंध में जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम वर्ष में सत्र 2017–18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया है।"

1.	Platinum College of Professional Studies, Mana, Raipur
2.	AVS Presidency International College, Mana, Raipur
3.	Nanakchand Rameshchand Agrawal College Kharora, Raipur

उपरोक्त महाविद्यालयों को शासन से महाविद्यालय बंद करने के संबंध में अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय के क्रमशः पत्र क्रमांक 4506/ अका./ 2017, दिनांक 22/07/2017, क्रमांक 4465/अका./2017, दिनांक 18/07/2017 एवं क्रमांक 4479/अका./2017, दिनांक 19/07/2017 प्रेषित किया गया है।

श्रद्धा शिक्षण समिति द्वारा संचालित प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, धमतरी के पत्र दिनांक 02/08/2016 के द्वारा बी. कॉम. प्रथम वर्ष एवं बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंध होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम असमर्थता व्यक्त करते हुए महाविद्यालय बंद करने का अनुरोध किया गया है। जिसके संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1977/अका./2016, दिनांक 12/08/2016 के द्वारा शासन से बंद करने हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त चारों महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा लिखे गए पत्र के अनुक्रम में आज दिनांक तक शासन से बंद करने के संबंध में अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम – 27 के कंडिका–09 के अनुसार "If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed." एवं संशोधित विनियम 129 की कंडिका 8.4 के अनुसार– "अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस

लेने के निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थीय रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जो कि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत् थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करें।"

उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम एवं विनियम की कंडिकाओं के आधार पर उक्त चारों महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के संबद्धता से असम्बद्ध किए जाने हेतु विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

13. **सत्र 2024–25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–**

क्रमांक	**शासकीय महाविद्यालय**
1	नवीन शास. कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
2	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद
3	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर–28, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (सत्र 2023–24)
4	शासकीय माता कर्मा कन्या कन्या महा., महासमुंद (सत्र 2023–24)
क्रमांक	**अशासकीय महाविद्यालय**
1	कृती स्कूल एवं बिसनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर
2	छत्तीसगढ़ महतारी कालेज, भखारा, जिला–धमतरी (छ.ग.) 493770
3	इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.–1124/2, 1124/3, 86/4, स्टेशन रोड, महासमुंद

14. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला और स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित Free Self Defense Training Clube exclusively for Femals के लिए प्रस्तावित Rules and Guidelines पर विचार करना।**
टीप : Rules and Guidelines संलग्न है।

15. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला और योगा एंड मेडिटेशन क्लब के द्वारा आयोजित Yoga Training Camp के लिए प्रस्तावित Rules and Guidelines पर विचार करना।**
टीप : Rules and Guidelines संलग्न है।

16. **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan Cell) आदेश क्रमांक 3055/अका./एफ–27/2024 रायपुर, दिनांक 23.04. 2024 के द्वारा गठन किया गया है। प्रकोष्ठ द्वारा 10 वर्षों हेतु NEP 2020 और यू.जी.सी. गाईड लाइन के अंतर्गत 2025 से 2035 तक के लिए निर्मित Institutional Development Plan की अनुशंसा कर विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड किये जाने पर विचार करना।**

17. **Dr. Rajesh Kumar Mishra, IPS & Director, State Forensic Science Laboratory, Police Line Campus, Tikrapara, Raipur को फोरेंसिक साइंस अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार करना।**
<u>टीप</u>: दिनांक 06.02.2025 को Screening /Expert Committee की बैठक आयोजित हुई, जिसमें चर्चा उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा किया गया –

"The Committeee discussed upon th proposal of the School of Studies in Forensic Science to offer the status of Visiting professor to Dr. Rajesh Kumar Mishra, IPS & Director, State Forensic Science Laboratory, Police Line Campus, Tikrapara, Raipur at School of Studies in Forensic Science.
The Committee recommednds th proposal to nominate Dr. Rajesh Kumar Mishra, IPS & Director, State Forensic Science Laboratory, Police Line Campus, Tikrapara, Raipur

as Visiting Professor at School of Studies in Forensic Science, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

The duration of the appointment shall be initialy for One year."

समिति की उपरोक्त अनुशंसा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

19/2/23

कुलसचिव